

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 9-12-20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

प्रतिनिधि
हनुमानगढ़